[1]संविधान (अनुसूचित जातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं0 आ0 32)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) [2][(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियां या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के [3][भाग 1 से 3 तक] में विनिर्दिष्ट हैं उन [2][संघ राज्यक्षेत्रों] के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहां तक, जहां तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं, जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।

[4][3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू [5][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।]

[6][4. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है तथा अनुसूची के भाग 3 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

[2][अनुसूची

भाग 1 -- दिल्ली

सारे संघ राज्यक्षेत्र में--

1. आदि धर्मी
2. अगरिया
3. अहेरिया
4. बलाई
5. बंजारा
6. बावरिया
7. बाजीगर
8. भंगी
9. भील
10. चमार, चंवर, चमार, जटिया या जाटव चमार, मोची, रविदासी, रैदासी, रेहगड़ या रैगड़
11. चोहड़ा (सफाई करने वाले)
12. चूहड़ा (बाल्मीकि)
13. धानक या धानुक
14. धोबी
15. डोम
16. घर्रामी
17. जुलाहा (बुनने वाले)
18. कबीर पंथी
19. कछन्धा
20. कंजर या गियारा
21. खटीक
22. कोली
23. लालबेगी
24. मदारी
25. मल्लाह
26. मजहबी
27. मेघवाल
28. नडीवट
29. [7][नट (राणा), बाडी]
30. पासी
31. पेरना
32. सांसी या भेड़कुट
33. सपेरा
34. सिकलीगर
35. सिंगीवाला या कालबेलिया
36. सिरकीबन्द ।]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 1427क, तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृ0 1198 पर प्रकाशित ।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूचियां (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "भाग 1 से 4 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं0 63 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 3 द्वारा "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * *

[2]* * * *

[3][4] [भाग 2]--चण्डीगढ़

1. आद धर्मी
2. बंगाली
3. बरड़, बुरड़ या बरड़
[5][4. बटवाल, बरवाला]
5. बौरिया या बावरिया
6. बाजीगर
7. बाल्मीकि, चूहड़ा या भंगी
8. भंजड़ा
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदास या रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दड़ें
13. धानक
14. ढ़ोगरी, ढ़ांगरी या सिग्गी
15. डूमना, महाशा या डूम
16. गगड़ा
17. गन्धीला या गन्दील गोन्ढोला
18. कबीरपंथी या जुलाहा
19. खटीक
20. कोरी या कोली
21. मरीजा या मरेचा
22. मजहबी
23. मेघ
24. नट
25. ओड
26. पासी
27. पेरना
28. फरेरा
29. सनहाई
30. सनहाल
31. संसोई
32. सांसी, भेड़कूट या मनेश
33. सपेला
34. सरेरा
35. सिकलीगर
36. सिरकीबंद ।]

[6][भाग 3--दमण और दीव

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में :---

1. भंगी (हाडी)
[5][2. चंभार, मोची]
3. माहर
4. महायावंशी (बन्कर)
5. मांग ।]

[7] * * * *

---

[1] 1970 के अधिनियम सं0 53 की धारा 19 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) हिमाचल प्रदेश की बाबत भाग 2 का लोप किया गया ।

[2] 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमशः भाग 3 और भाग 4 का लोप किया गया ।

[3] 1966 के अधिनियम सं0 31 की धारा 27 और नवम् अनुसूची द्वारा (1-11-1966 से) जोड़ा गया ।

[4] 1971 के अधिनियम सं0 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) भाग 5 को भाग 2 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[5] 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और भाग 4 को भाग 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया । 1986 के अधिनियम सं0 69 की धारा 16 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) दमण और दीव संबंधी भाग 3 अंतःस्थापित ।

[7] 1986 के अधिनियम सं0 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) लोप किया गया ।